भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5661

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

न्यायालयों में डिजिटलीकरण

5661. कु. सुधा आर.:

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में 40 वर्षों से अधिक समय से लंबित सिविल और आपराधिक मामलों की राज्यवार और उच्च न्यायालयवार कुल संख्या कितनी है ;

(ख) न्यायालयों के आधुनिकीकरण के लिए राज्यवार और उच्च न्यायालयवार कितनी निधि आवंटित और उपयोग की गई है ;

(ग) देश में दस्तावेजों के डिजिटलीकरण कार्यक्रम की राज्यवार और उच्च न्यायालयवार स्थिति क्या है ; और

(घ) क्या सरकार ने देश में उच्च न्यायालयों की कोई अतिरिक्त पीठ बनाने का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 02.04.2025 तक उच्चतम न्यायालय में 03 सिविल मामले और 0 दांडिक मामले 40 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं। इसके अतिरिक्त 28.03.2025 तक उच्च न्यायालयों में कुल 20,093 सिविल मामले और 3,506 दांडिक मामले 40 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं। इन मामलों के ब्यौरे उच्च न्यायालय-वार **उपाबंध-1** पर हैं ।इसके अतिरिक्त, 28.03.2025 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधीनस्थ न्यायालयों में 4,638 सिविल मामले और 5,567 दांडिक मामले 40 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं। इन मामलों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे **उपाबंध-2** पर हैं ।

(ख) : न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित स्कीम के अधीन, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को न्यायालय कक्षों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए निधियां जारी की जा रही हैं, जिससे वादियों सहित विभिन्न पणधारियों का जीवन आसान हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप न्याय परिदान करने में सहायता मिलेगी। 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए

केंद्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) की शुरुआत से लेकर अब तक 28.02.2025 तक 11886.29 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। राज्यवार निधि आवंटन और उपयोग के ब्यौरे **उपाबंध-3** पर हैं ।

इसके अतिरिक्त, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना, भारतीय न्यायालयों की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) समर्थता के लिए एक केंद्रीय सेक्टर की स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। इसका उद्देश्य पूरे न्यायालय के अभिलेख के डिजिटलीकरण और ई-सेवा केंद्रों के साथ सभी न्यायालय परिसरों को संतृप्त करके ई-फाइलिंग/ई-भुगतान के सार्वभौमिकरण के माध्यम से डिजिटल, ऑनलाइन और कागज रहित न्यायालयों की ओर बढ़ते हुए न्याय की अधिकतम सुगमता की व्यवस्था की शुरुआत करना है। सरकार ने, वर्ष 2015 से बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि करके उन्नत डिजिटल बुनियादी ढांचे के साथ न्यायपालिका के आधुनिकीकरण में अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। सितंबर, 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹7,210 करोड़ के परिव्यय पर ई-न्यायालय चरण 3 (2023-2027) को मंजूरी दी है, जो चरण 2 के लिए वित्तपोषण से चार गुना अधिक है। ई-न्यायालय चरण-3, के अधीन वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1200 करोड़ रुपए की रकम आबंटित की गई थी । उच्च न्यायालय –वार व्यय के ब्यौरे **उपाबंध-4** पर हैं ।

(ग) : अधीनस्थ न्यायालयों में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का संकल्प ई-न्यायालय परियोजना चरण 3 के अंतर्गत अभिनिश्चित 2038.40 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण परिव्यय से स्पष्ट है। न्यायालय के अभिलेखों का डिजिटलीकरण न्यायिक क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) समर्थता पहलों का केन्द्र है। आभासी/कागज़ रहित न्यायालयों में न्यायालय की कार्यवाही की प्रभावी सुनवाई के लिए, डिजिटल रूप में न्यायालय के अभिलेखों की उपलब्धता अनिवार्य है। तदनुसार, ई-समिति, उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायालय के अभिलेखों की स्कैनिंग, भंडारण, पुनर्प्राप्ति, डिजिटलीकरण और विरासत डाटा के संरक्षण के लिए डिजिटल संरक्षण मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने के लिए एक उप-समिति का गठन किया गया था और इसे 21 अक्तूबर 2022 को उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था।

ई-समिति, उच्चतम न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्यौरों के अनुसार, 28.02.2025 तक उच्च न्यायालयों में 1,99,49,45,317 पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया गया है और जिला न्यायालयों में 2,61,48,64,243 पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया गया है। इसकी उच्च न्यायालय-वार प्रास्थिति **उपाबंध-5** पर है । ई-समिति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं कि जिला स्तर न्यायालयों में अभिलेखों की स्कैनिंग और डिजिटलीकरण इष्टतम गति से किया जाए।

(घ) : उच्च न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना, जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और शीर्ष न्यायालय द्वारा 2000 की डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 379 में सुनाए गए निर्णय के अनुसार और राज्य सरकार से प्राप्त पूर्ण प्रस्ताव पर उचित विचार-विमर्श के बाद की जाती है, जिसे आवश्यक वित्तीय संसाधन और अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता होती है और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से उच्च न्यायालय के दिन-प्रतिदिन प्रशासन की देखभाल करने की अपेक्षा की जाती है। प्रस्ताव पर संबंधित राज्य के राज्यपाल की सहमति भी होनी चाहिए। वर्तमान में, किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायपीठों की स्थापना के लिए सरकार के पास कोई पूर्ण प्रस्ताव लंबित नहीं है।

******

उपाबंध-1

‘उच्च न्यायालयों में डिजिटीकरण’ के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5661 जिसका उत्तर 04.04.2025 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	सिविल	दांडिक	योग
1	इलाहाबाद	12368	3459	15827
2	बंबई	8	0	8
3	कलकत्ता	6127	43	6170
4	तेलंगाना	176	0	176
5	आंध्र प्रदेश	129	0	129
6	गुजरात	4	0	4
7	जम्मू -कश्मीर और लद्दाख	1	0	1
8	कर्नाटक	1	0	1
9	मध्य प्रदेश	6	0	6
10	पंजाब और हरियाणा	33	1	34
11	राजस्थान	8	3	11
12	मद्रास	170	0	170
13	उड़ीसा	48	0	48
14	पटना	1014	0	1014
	योग	20093	3506	23599

स्रोत: 28.3.2025 तक राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध कराए गए अनुसार आंकड़े ।

उपाबंध-2

'उच्च न्यायालयों में डिजिटीकरण' के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5661 जिसका उत्तर 04.04.2025 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

क्रम.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सिविल	दांडिक	दोनों
1	आंध्र प्रदेश	4	14	18
2	असम	9	0	9
3	बिहार	609	568	1177
4	छत्तीसगढ	2	0	2
5	दिल्ली	19	0	19
6	गोवा	49	1	50
7	गुजरात	8	1	9
8	हरियाणा	2	0	2
9	जम्मू - कश्मीर	3	0	3
10	झारखंड	10	13	23
11	कर्नाटक	22	0	22
12	केरल	18	1	19
13	मध्य प्रदेश	7	2	9
14	महाराष्ट्र	410	1287	1697
15	मणिपुर	0	3	3
16	मेघालय	3	6	9
17	ओडिशा	11	74	85
18	पुडुचेरी	2	0	2
19	पंजाब	1	0	1
20	राजस्थान	73	1	74
21	तमिलनाडु	19	4	23
22	तेलंगाना	1	7	8
23	त्रिपुरा	1	16	17
24	उत्तर प्रदेश	2735	558	3293
25	पश्चिमी बंगाल	620	3011	3631
	योग	4638	5567	10205

स्रोत: 28.3.2025 तक राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध कराए गए अनुसार आंकड़े ।

उपाबंध-3

'उच्च न्यायालयों में डिजिटीकरण' के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5661 जिसका उत्तर 04.04.2025 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(28.02.2025तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कुल निधि (1993-94 से वित्तीय वर्ष 2024-25 की तारीख 28.02.2025 तक स्वीकृत/आबंटित)	उपयोग की गई निधि(1993-94 से वित्तीय वर्ष 2024-25 की तारीख 28-02-2025 तक)
1.	अंदमान और निकोबार दीप समूह	14.34	14.34
2.	आंध्र प्रदेश	272.24	272.24
3.	अरुणाचल प्रदेश	97.96	91.42
4.	असम	349.76	349.76
5.	बिहार	558.4	558.4
6.	चंडीगढ़	39.01	37.3
7.	छत्तीसगढ	224.91	224.91
8.	दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव	9.38	9.38
9.	दिल्ली	354.4	344.56
10.	गोवा	63.01	52.51
11.	गुजरात	675.17	675.17
12.	हरियाणा	225.93	225.93
13.	हिमाचल प्रदेश	66.24	65
14.	जम्मू -कश्मीर	282.57	269.87
15.	झारखंड	267.57	267.57
16.	कर्नाटक	991.96	991.53
17.	केरल	248.4	229.42
18.	लद्दाख	8.33	8.33
19.	लक्षदीप	0.51	0.37
20.	मध्य प्रदेश	863.71	863.71
21.	महाराष्ट्र	1,076.64	1076.64
22.	मणिपुर	101.51	99.51
23.	मेघालय	274.71	274.71
24.	मिजोरम	103.07	103.07
25.	नागालैंड	139.25	139.18
26.	ओडिशा	250.25	250.25
27.	पुडुचेरी	71.95	65.58
28.	पंजाब	602	597.48
29.	राजस्थान	528.87	528.87
30.	सिक्किम	59.57	58.47
31.	तमिलनाडु	495.06	467.25
32.	तेलंगाना	58.89	58.89
33.	त्रिपुरा	157.58	141.55
34.	उत्तर प्रदेश	1,756.41	1679.68
35.	उत्तराखंड	301.94	297.15
36.	पश्चिमी बंगाल	294.81	292.11
	योग	11,886.31	11,682.11

उपाबंध-4

'उच्च न्यायालयों में डिजिटीकरण' के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5661 जिसका उत्तर 04.04.2025 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	उपयोग की गई निधि (रुपए करोड़ में)
1	इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	51.7791
2	आंध्र प्रदेश	31.7379

3	बम्बई (महाराष्ट्र, गोवा, दीव और दमण और नागर दादरा हवेली)	83.1874
4	कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)	27.6514
5	छत्तीसगढ	24.1667
6	दिल्ली	48.1893
7	गुहाटी (अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड)	53.7451
8	गुजरात	73.2124
9	हिमाचल प्रदेश	6.8904
10	जम्मू और कश्मीर और लद्दाख	14.5258
11	झारखंड	29.217
12	कर्नाटक	67.4009
13	केरल	32.607
14	मध्य प्रदेश	76.8718
15	मद्रास (तमिलनाडु और पुडुचेरी)	91.7467
16	मणिपुर	7.5355
17	मेघालय	8.4751
18	उड़ीसा (ओडिशा)	53.2409
19	पटना (बिहार)	89.5528
20	पंजाब और हरियाणा (पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़)	26.0111
21	राजस्थान	34.7246
22	सिक्किम	8.9376
23	तेलंगाना	28.57
24	त्रिपुरा	7.0494
25	उत्तराखंड	19.9543
	योग	996.9802

उपाबंध-5

'उच्च न्यायालयों में डिजिटीकरण' के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5661 जिसका उत्तर 04.04.2025 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

क्र.सं.	उच्च न्यायालय (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)	चालू मास तक उच्च न्यायालय में डिजिटीकृत पृष्ठों की संख्या	संबंधित उच्च न्यायालय के अधीन डिजिटीकृत (जिसमें तालुक न्यायालय भी हैं) पृष्ठों की कुल संख्या
1.	इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	53,47,89,659	97,45,60,893
2.	आंध्र प्रदेश	1,42,04,781	2,56,91,977
3.	बम्बई (महाराष्ट्र, गोवा, दीव और दमन और नागर दादर हवेली)	3,46,09,102	7,25,424
4.	कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)	4,89,38,686	0
5.	दिल्ली	22,93,29,647	10,90,01,868
6.	गुहाटी(अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड)	3,06,62,123	15,71,54,484
7.	गुजरात	5,37,090	82,430
8.	हिमाचल प्रदेश	71,42,331	0
9.	जम्मू - कश्मीर और लद्दाख	3,92,08,843	54,83,298
10.	झारखंड	1,51,23,206	75,83,464
11.	कर्नाटक	2,69,43,999	3,44,31,202
12.	केरल	5,86,92,719	91,17,722
13.	मध्य प्रदेश	22,47,29,014	53,31,95,995
14.	मद्रास (तमिलनाडु और पुडुचेरी)	14,55,99,531	8,19,05,103
15.	मणिपुर	52,78,155	48,45,673
16.	मेघालय	8,45,702	33,31,430
17.	उड़ीसा (ओडिशा)	4,45,35,424	11,75,81,662
18.	पटना (बिहार)	2,27,97,499	0
19.	पंजाब और हरियाणा (पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़)	27,41,99,318	50,66,96,188
20.	राजस्थान	10,43,40,362	52,25,444
21.	सिक्किम	11,61,836	44,10,905
22.	तेलंगाना	10,78,15,504	3,28,19,876
23.	त्रिपुरा	63,60,786	6,19,005
24.	उत्तराखंड	1,71,00,000	4,00,200
25.	छत्तीसगढ	0	0
	योग	1,99,49,45,317	2,61,48,64,243

****